27/9/22

आज यह पत्रावली प्रार्थी लालूराम पुत्र
हेमाराम के द्वारा प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा
152 CPC के तहत पेश करने पर पेशी में
ली गई। प्रा० पत्र पेश कर प्रार्थी ने निवेदन
किया कि माननीय न्यायालय में वाद डिक्रीत कर
विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, अनूपगढ़ से
मंगवाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है
उक्त जमाबन्दी वाद में चक 6 MSR तहसील
अनूपगढ़ के प० नं. 332/430 मु० नं. -34 के
किला नं. 1/2, 2, 9, 10/2, 11/2, 12, 19, 20/2,
21/2 व किला नं. 22 कुल 2.4050 हैक्टेयर
भूमि के बंटवारे का अनुतोष चाहा गया
है। वाद पत्र पेश करते समय उपरोक्त भूमि
का मु० नं. 34 तो सही दर्ज हो गया लेकिन
वाद पत्र की मद संख्या 8 एवं अनुतोष की मद
सं. 9 क में प० नं. 332/430 की जगह लिपिकीय
त्रुटि से प० नं. 344/430 दर्ज हो ~~चुका~~ गया
तथा इसी अनुसार मा० न्यायालय द्वारा विभाजन
प्रस्ताव मंगवा लिया गया। अब हल्का पटवारी
द्वारा मिलान किये जाने पर उक्त दर्ज त्रुटि
की जानकारी हुई तथा पत्रावली पेशी में ली
[illegible] मद सं. 8 एवं अनुतोष
बाबत वाद पत्र [illegible] 344/430 के स्थान
की मद सं.-9 क [illegible] 332/430 दर्ज
पर संशोधन किया [illegible] अनुरूप प्रस्ताव
करने की कृपा करने तथा [illegible] अनुरूप
मंगवाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.11.21 12:15:02 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी के प्रा० पत्र एवं वाद पत्र में दर्ज तथ्यों एवं दस्तावेजों का मनन किया गया। प्रार्थी का प्रा० प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वाद की मद संख्या-2, अनुतोष की मद संख्या-9 क एवं दिनांक 8/5/18 को जारी डिक्री में प० नं. 322/430 के स्थान पर प० नं. 332/430 दुरूस्त किया जाता है। रीडर न्यायालय हाजा उक्त प० नं. को लाल स्याही से दुरूस्त करे तथा प० नं. 332/430 का अंकन करें। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव के इंतजार में आइंदा दिनांक 28/11/22 को पेश हो।

Priyanka

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.11.21 12:15:02 IST
Reason: SelfAttested